**भारत सरकार**
**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या: 4660**
**दिनांक 21 अगस्त, 2025**

## वैश्विक ऊर्जा खपत में भारत की हिस्सेदारी

**4660 श्रीमती कमलेश जांगड़ेः**
**डॉ. के. सुधाकरः**
**श्री बिद्युत बरन महतोः**
**श्री दिलीप शइकीयाः**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वैश्विक ऊर्जा खपत में भारत की वर्तमान हिस्सेदारी कितनी है और आगामी पाँच वर्षों के दौरान इसमें कितनी वृद्धि अनुमानित है:
(ख) भारत की कुल ऊर्जा खपत में स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी कितनी है;
(ग) क्या सरकार ने पिछले दशक के दौरान स्वच्छ ऊर्जा के अनुपात को बढ़ाने के लिए कोई पहल की है,
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक प्राप्त प्रमुख लाभ क्या हैं, और
(ङ) सरकार द्वारा स्वच्द्र ऊर्जा उत्पादन के लिए घरेलू क्षमता को बढ़ावा देने हेतु अपनाई जा रही विभिन्न रणनीतियाँ क्या हैं?

**उत्तर**
**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री सुरेश गोपी)**

(क) से (ङ) ऊर्जा संस्थान द्वारा जून 2025 में जारी विश्व ऊर्जा की सांख्यिकीय समीक्षा के अनुसार, भारत की कुल ऊर्जा खपत विश्व की कुल खपत का 6.59% है और ऊर्जा आपूर्ति में स्वच्छ ऊर्जा, अर्थात् जल, परमाणु और नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा लगभग 10.8% है। भारत के लिए बीपी एनर्जी आउटलुक 2024 के अनुसार, कुल प्राथमिक ऊर्जा खपत वर्ष 2030 तक 3.0% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ने का अनुमान है।
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के सचिवालय को भारत द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के एक भाग के रूप में, भारत ने वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से 50 प्रतिशत संचयी विद्युत स्थापित क्षमता हासिल करने की प्रतिबद्धता दर्शायी गई है।

भारत ने जून 2025 तक अर्थात अपनी वैश्विक प्रतिबद्धता से पाँच साल पहले अपनी कुल स्थापित संयची विद्युत क्षमता का 50% गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की रिपोर्टों के अनुसार, दिनांक 30 जून 2025 की स्थिति के अनुसार भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता 484.82 गीगावाट है, जिसमें से गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता 242.78 गीगावाट यानी 50.08% है। गैर- जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त 242.78 गीगावाट क्षमता में 116.25 गीगावाट सौर ऊर्जा, 51.67 गीगावाट पवन ऊर्जा, 11.60 गीगावाट जैव ऊर्जा, 54.48 गीगावाट जल विद्युत और 8.78 गीगावाट नाभिकीय ऊर्जा क्षमता शामिल है ।

सरकार देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देने और इसमें तेजी लाने के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के प्रावधान के साथ विभिन्न योजनाओं/ कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रही है, इनमें अन्य बातों के साथ-साथ अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम (आईएसटीएस) शुल्कों में छूट, वर्ष 2029-30 तक नवीकरणीय अधिप्राप्ति दायित्व (आरपीओ) और नवीकरणीय उपभोग दायित्व (आरसीओ) ट्रेजेक्टरी की अधिसूचना, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना , उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) के तहत नई सौर ऊर्जा योजना (आदिवासी और पीवीटीजी बस्तियों/गांवों के लिए) और धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए जेजीयूए), राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) योजना शामिल है।

सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक बहुआयामी कार्य नीति अपनाई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ स्वच्छ खाना पकाने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ( पीएमयूवाई) , देश भर में ईंधन/फ़ीडस्टॉक के रूप में प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देकर मांग प्रतिस्थापन, अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाने और गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना, एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम (ईबीपी) के माध्यम से एथेनॉल जैसे नवीकरणीय और वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देना, प्रधान मंत्री जी-वन योजना के माध्यम से दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल को बढ़ावा, किफायती परिवहन के लिए दीर्घकालिक विकल्प (एसएटीएटी) के माध्यम से संपीड़ित जैव गैस, रिफाइनरी प्रक्रिया में सुधार, ऊर्जा दक्षता और संरक्षण को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं।

सरकार ने सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) क्षेत्र को प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जिसमें सीएनजी ( टी) / पीएनजी (डी) को प्राथमिकता के आधार पर घरेलू गैस आवंटित करना, सीएनजी (टी) / पीएनजी (डी) क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करने के लिए गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से घरेलू गैस को विपथन करना, सीजीडी नेटवर्क का विस्तार, राष्ट्रीय गैस ग्रिड पाइपलाइन का विस्तार, तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) टर्मिनल की स्थापना आदि शामिल हैं। 12/12 ए सीजीडी बोली दौर के पूरा होने के बाद, पीएनजीआरबी ने 307 भौगोलिक क्षेत्रों (जीए) में सीजीडी नेटवर्क के विकास के लिए कंपनियों को प्राधिकृत किया है, जो ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों सहित देश के मुख्य भूमि क्षेत्र (द्वीपों को छोड़कर) के लगभग 100% को कवर करता है।

*****